सरकारां गजर, उत्तर पदश

जलर प्रदेशीय सरकार हारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 28 श्रवतूबर, 1975 कार्तिक 6, 1897 शक ाम्बत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका अनुभाग--1

संतकः 4442 सज्ञहः चि 0-1: 117-75 लखनऊ, : 28 प्रक्तूबर, 1975

ज्रधिसूचना '

"भारत का संविधान" के अनुष्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महीदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रवश्रीपार्क, खेल का मदान श्रीर खुली जगह (संरक्षण श्रीर वितियसन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 18 श्रवत्वर, 1975 ई 0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 55, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूर्यनार्थ इस प्रधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पार्क, क्षेत्र का मेदान ग्रौर खुली जगह (संरक्षण ग्रौर विनियमन) ्र _{श्र}ुधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश प्रधिनियम संख्या 55, 1975)

(जैसा उत्तर प्रदश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में पार्क, खेल के मेवान ग्रीर खुली जगह के संदक्षण ग्रीर विनियमन का उपग्रन्थ करन के लिए

ऋधिनियम

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मंदान और खुली जगह (संरक्षण भीर विनियमन) अधिनियम, 1975 कहा जायेगा ।

(2) यह उत्तर प्रदेश नगर नहापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन प्रत्येक नगर महापालिका में और यू 0 पी 0 म्युनिसिवैलिटीज ऐक्ट, 1916 के प्रधीन प्रत्येक म्युनिसिवैलिटी क नोटोफ़ाइक एरिया में और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन प्रत्येक टीउन एरिया में सिम्मलित प्रत्येक क्षेत्रों में ब्रौर ऐसे श्रन्य क्षेत्रों में जिनको राज्य सरकार समय-समय पुर गजट में प्रधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिद्घ्ट करे, लागू होना, ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गणट में अधिलूचना द्वारा नियत कुरे और विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

-इस ग्रधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:---

(क) "खुली जगह" का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी भूमि से (चाहे घिरी हुई हो या न हो) है जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिसके बीलवें भाग से अधिक पर कोई भवन नहीं है और जिसका लम्पूर्ण मो श्रेष भाग मनोरंजन, वायु या प्रकाश के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है;

नाम, संक्षिप्त पौर विस्तार प्रारम्भ

परिभाषाएं

- (ख) ''पार्क'' का तात्पर्य उस भू-खंड से है जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिसे के वीसर्वे भाग से अधिक पर कोई इमोरत न हो और जिसके सम्पूर्ण या रोष भाग को विन्यास वृक्ष, पौधे, फूलों की क्यारी सहित उद्यान के रूप में या लान के रूप में या घास के मैदान के रूप में किया गया हो और जिसका अनुरक्षण मनोरंजन, वायु या प्रकाश के लिए सार्बजिनिक समागम-स्थान के रूप में किया जाता हो;
- (ग) ''खेल का मैदान'' का तात्पर्य उस भू-खंड से है जिसका अनुकूलन खेल, खेल-कूद या कोड़ा के प्रयोजनार्थ और उपयोग किसी शिक्षण संस्था या क्लब था अन्य समुदाय द्वारा किया जाता है ;

(घँ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा

विहित से है।

पार्कों, खेल क मंदानों और खुली जगहों की सूचियों को तैयार और प्रस्तुत करना

- 3--(1) किसी क्षेत्र में इस अर्थिनयम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के सभी पाकी, खेल के मंदानों और खुली जगहों की सूची, रेखाचित्र और मानचित्र सहित, ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे संमय के भीतर और ऐसी रोति से जो विहित की जाय, तैयार तथा प्रकाशित की जायगी।
- (2) कोई हितबद्ध ब्यक्ति उपभारा (1) के अधीन सूची के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास-के भीतर ऐसी सूची ले सम्बद्ध या उसमें अंकित किसी नात के बारे में अपनी आपत्तियों और मुलावों को विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
- (3) विहित प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पक्षात् और ऐसी अग्रेतर जांच, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, करने के पञ्चात् सूची का अनुमीदन परिष्कार सहित या रहित कर सकता है।
- (4) उपवारा (3) के अभीन विहित प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित सूची ऐसे प्रयत्र में और ऐसे विवरण सहित होंगी और ऐसी रीति में प्रकाशित की जायगी, जसी विहित की जाय।...
- (5) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन प्रकाशित किसी सुची में निर्दिष्ट या उसका अंगीभूत कोई रेखा वित्र, मानिषत्र या दस्तावेज जनता के निरीक्षण के लिए ऐसे स्थान और समय पर जो विहित किया जाय, उपलब्ध होगा ।

सरकार द्वारा सूचीका यसरीक्षण

- 4--(1) कोई व्यक्ति जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के प्रति कोई आपत्ति हो, ऐसे समय के भीतर जो चिहित किया जाय, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकता है।
- (2) ऐसे अभ्याबेदन पर राज्य सरकार विहित प्राधिकारी से मामले का अभिलेख मंगा और सम्बद्ध पक्षकारों को सुमबाई का अवसर देने के पत्त्वात् और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात् जो बह आवश्यक समझे, सूची का पुनरीक्षण कर सकती है।
- (3) उपधारा (2) के अधीन यथा पुनरीक्षित सूची को गजट में और ऐसी अन्य रीति से जो बिहित की जाय, प्रकाशित किया जायगा।

सूर्जी का परिवर्तन या विखंडन

- 5--(1) राज्य सरकार किसी समय या तो स्वतः या स्थानीय प्राधिकारी या किसी हितबद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर घारा 3 के अधीन अनुमोदित या धारा 4 के अधीन पुनरीक्षित सुची की परिवृद्धित, परिवृत्तित या विखंडित कर सकता है ।
- (2) ऐसा कोई परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन कैरने के पहले राज्य सरकार विहित रोति से ऐसे परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन के प्रारूप को एक नोटिस के साथ, जिसने वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जायगा, प्रकाशित करेगी और ऐसी आपत्तियों और सुझावां पर जो इस प्रकार विनिद्धित दिनांक के पूर्व उस प्रारूप के संबंध में प्राप्त हो जायें, विचार करेगी।
- 6--कोई पार्क, खेल का मैदान या खुली जगह जो, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सुची में विनिदिष्ट हो, विहित प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना, जिस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पहले किया जा रहा था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जायगी ।

7--स्थानीय प्राधिकारी उन पार्की, खेल के मैदानों और खुली जगहों का जो उसकी हो यू उसमें निहित हों और धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सुची में सम्मिलित हों, स्वज्ले उचित दंशा में अनुरक्षण करेगा।

- 8--कोई व्यक्ति विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के विना, कोई इमारत नहीं बनायेगा या कोई संरचना नहीं करेगा जिससे घारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिदिष्ट पार्क खेल के मैदान या खुली जगह की उपयोगिता के प्रभावित होने की संभावना हो।
- 9--(1) किसी पार्क या खेल के मैदान की स्थिति में जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित न हो बिन्तु धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हो, विहित प्राधिकारी नोटिस द्वारा ऐस पार्क या खेल के मैदान के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह--
 - (i) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण करें; या

कुछ मामलों में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगहों के उपयोग का प्रतिषेध

पार्कों, खेल के भैदानों और खुली जगहों का अनुरक्षण

इमारतों आदि के निर्माण का प्रतिषेध

पार्क, खेल के मैदान आदि के स्वामी का आभार (ii) किसी ऐसे पार्क या खेल के मैदान में या पर प्रक्षेप, अधिक्रमण अवरोध को निराकृत या परिवृतित करे या नोटिस में विनिधिक्ट दिनांक के भीतर ऐसे पार्क या खेल के मैदान में किसी इमारत में ऐसी मरम्मत करे जो विहित प्राधिकारी आवश्यक समझे।

(2) यदि स्वामी या अध्यासी उपधारा (1) के अजीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल हो तो विहित प्राधिकारी स्वयं ऐसे अभिकरण द्वारा जो वह उचित समझे, इस बात की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात्—

- (i) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण;
- (ii) प्रक्षेप, अधिक्रमण या अवरोध का निराकरण या परिवर्तन ;
- (iii) ऐसी नरम्मत करना जो वह आवश्यक समझे, और ऐसे अनुरक्षण, निराकरण, परिवर्तन या नरम्मत का व्यय ऐसे स्वामी या अध्यासी से ऐसी रीति में जो विहित की जाय, वसूल किया जायगा।
- (3) उपधारा (2) के ग्रवीन वसूली घोग्य व्ययं को घनराशि के बारे में किसी विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, जिसका विनिश्चय ग्रन्तिम होशा ।
- (4) विहित प्राधिकारी उपधारा (2) में जैसा दृगित हैं, वैसी कार्यवाही करने के बजाय या अलावा भूमि का अर्जन पार्क या खेल के मैदान के रूप में भूमि के प्रभावकारी प्रवन्ध के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन करा सकता है।
- (5) किसी जेन के मैदान का स्वाभी या अध्यासी, जो खेल के मैदान का उपयोग खेल के मैदान से अपने अधिक रि से भिम्म किसी रूप में परिवर्तित करने का इच्छुक हो, राज्य संरकार को खेल के मैदान में अपने अधिक रि हक और हित को कय करने के लिये नीटिस दे सकना है और यदि राज्य सरकार ऐसे नोटिस पाने के दिनांक से छः मास के भीतर एसे अधिकार, हक और हित को कय करने के लिए अपनी त्यारी और रजामन्दी को संज्ञापित नहीं करता है तो वह ऐसे खेल के सैदान को ऐसे उपयोग में ला सकता है, जैसा वह काहे।
- 10--(1) विहित प्राधिकारी धारा 3 या धारा 4 के प्रधीन प्रकाशित सूची में सिम्मिलित पार्की, खेल के में दानों श्रीर खुली जगहों के संस्वत्थ में एक बार्षिक विवरणी ऐसे प्रपंत्र में ग्रीर ऐसे ब्योरों, सिहत, जो विहित किये जायें, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपवारा (1) में निविध्य विवरणों के साथ उन पार्की और खेल के मैदानों की जिनक सम्बन्ध में धारा 9 की उपेधोरा (2) के अधीन कार्यवाही की गई थी एक सूची भी होगी और उसके साथ-साथ उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के प्रकार और उनके उचित अनुरक्षण के बारे में उठाये गये कदम के सम्बन्ध में ब्योरे होंगे।

11—यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के या उससे निहित किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त खारी किये गये किसी निदेश का उल्लंधन करके प्रवेश करता है या रहता है तो उसे, किसी अन्य जार्यवाही पर, प्रतिकृत प्रभाव डाले जिता जो उसके विच्छ की जा सकती है, कोई पुलिस अधिकारी या, कार्यवाही पर, प्रतिकृत प्रभाव डाले जिता जो उसके विच्छ की जा सकती है, कोई पुलिस अधिकारी या, कार्यवाही पर, प्रतिकृत प्रभाव डाले जिता जो उसके विच्छ को जा सकती है, कोई पुलिस अधिकारी या, कार्यवाही पर, प्रतिकृत प्रभाव डाले जिता जो इस यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी की ओट से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो, ऐसे पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से हटा सकता है।

12—जो कोई धारा 4 या धारा 5 के अधीन प्रकाशित सूची ये विनिर्दिष्ट किसी पार्क, खेल के सैदान या खुली जगह में कोई कूड़ा फॅकता है यो जंगले या बाड़ को अतिक्रमण करता है यो उसमें फल, फूल, पौधे, घास या किसी भी अन्य वस्तु को चुराता है या अति पहुंचाता है या उसमें कोई अपंदूषण करती है, उसे ऐसी अवधि के लिए कार्यवास का जो एक मास तक हो संकता है या जुमिन का या होनों का दण्ड दिया जायगा।

13—इस सिंधिनियम के ग्रंथीन पाकों, खेल के मैदान ग्रोर खुली बगहों की सूची तैयार ग्रीर श्रकाश्चित होने तक (जो इस ग्रंथिनियम के प्रारम्भ से दो यर्ष की ग्रवधि के भीतर पूरी कर दी जायगी) किसी भूमि का, जो इस ग्रंथिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व खुली जगह ही यो जिसका उपयोग पार्क या खेल के मैदान के रूप में किया जाता हो, ऐसे पार्क या खेल के मैदान के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो उपयोग किया जायगा ग्रीर न बरता खायगा ।

14--(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करन के लिए नियम बना सकती है।

व्यधिक विवर-णिपी की प्रस्तुत किया जाना

अप्राधिकृत व्यक्तियों के हटाना

क्रास्ति

पार्क आदि का अन्तरिम संरक्षण

> नियम बनाने की द्यक्ति

- (2) विशेतः श्रीर पूर्ववर्ती उपजन्ध की व्यापकता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्मलिखित के लिए उपेबन्ध किया जा सकता है--
 - (क) पाकों, खेल के मैदानों और खुली जगहों में व्यक्तियों के प्रवेश, और उनमें हुई उनके स्रास-पास व्यक्तियों के सावरण का नियंत्रण या विनियमन;
 - (ख) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में पशुओं या किसी वर्ग के पशुओं प्रवेश का निर्वन्धन या प्रतिवेधः
 - (ग) किसी पार्क, खेल के जैदान या खुली जगह से किसी ऐसे व्यक्ति को हटान जो उसमें इस अधिनियम के प्रधीन जारी किये गये किसी प्राधिकारी के किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करते हों;
 - (घ) समय जिसके भीतर शासा 10 के अधीन वार्षिक विवस्णी राज्य सस्कार को प्रस्तुत की जायगी;
 - (क) धारा 9 की उपधारा (2) के स्रधीन संनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; स्रौर
 - (च) इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः ऋषेक्षित या प्रनुमत सभी विषय जिन्हें विहित किया जाना हो।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चीत् यसाशीझ राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सहन के समझ, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीम दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सब था एक ले अधिक आनुकिषक सबों में समहविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या स्रभिज्ञायनों के क्रघीन रहतं हुए, प्रभावी होंगें जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त स्रविध में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस बेकार का कोई परिष्कार या ग्रिश्वकृत्यन सम्बद्ध नियम के ग्रधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकृत प्रभाव न डालेगा।

No. 4442(2)/XVII-V-1-117-1975

Dated Lucknow, October 28, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India. the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Park, Khel Ka Maidan Aur Khuli Jagah (Sanrakshan Aur Viniyaman) Adhiniyam; 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 55 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 18, 1975.

THE UTTAR PRADESH PARKS, PLAYGROUNDS AND OPEN SPACES (PRESERVATION AND REGULATION) ACT, 1975

(U. P. ACT No. 55 OF 1975)

 A_N

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

to provide for the preservation and regulation of parks, playgrounds and open spaces in Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Parks, Playgrounds and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975.
- (2) It shall apply to the areas included in every Nagar Mahapalika under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and every municipality or notified area under the U. P. Municipalities Act, 1916 and every town area under the U. P. Town Areas Act. 1914, and to such other areas as the State Government may, from time to time, by notification in the Gazette, specify in this behalf.
- (3) It shall come into force on such date, as the State Government may by notification in the Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different local areas.

Definitions.

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires—
- (a) "open space" means any land (whether enclosed or not), belonging to the State Government or any local authority, on which there are no buildings or of which not more than one-twentieth part is covered with buildings, and whole or the remainder of which is used for purposes of recreation, air or light;
- "park" means a piece of land on which there are no buildings or of which not more than one-twentieth part is covered with buildings, and the whole or the remainder of which is laid out as a garden with trees

plants or flower-beds or as a lawn or as a meadow and maintained as a place for the resort of the public for recreation, air or light;

(c) "playground" means a piece of land adapted for the purpose of play, game or sport and used by any educational institution or club or other association;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

(1) After the commencement of this Act in any area, a list, with plans ind maps, of all parks, playgrounds and open spaces in such area, shall be garriepared and published by such authority within such time and in such manner may be prescribed.

(2) Any person interested may, within three months of the date of publicaion of the list under sub-section (1), submit his objections and suggestions in writing in respect of anything contained in or relating to such list to the pres-

(3) The prescribed authority may, after considering the objections and fribed authority. The suggestions, if any, received under sub-section (2) and after making such further enquiry, if any, as it thinks fit, approve the list with or without modification.

(4) The list, approved by the prescribed authority under sub-section (3) shall be in such form and contain such particulars and shall be published in

कि such manner as may be prescribed. (5) Any plan, map or document forming part of or referred to in any ऐसे list published under sub-section (1) or sub-section (4), as the case may be, shall afer be available to the public for inspection at such place and such time as may

(1) Any person who has any objection to the list approved by the भीनी be prescribed. prescribed authority, may, within such time as may be prescribed, make a repre-

sentation in writing to the State Government.

(2) On such representation, the State Government may call for the records of the case from the prescribed authority and after giving the parties concerned an opportunity of being heard, and if necessary, after making such further inquiry, as it may consider necessary, revise the list.

(3) The list, as revised under sub-section (2), shall be published in the Gazette and in such other manner as may be prescribed.

(I) The State Government may, at any time, either suo motu, or at the instance of a local authority, or of any person interested, add to, vary or revoke a list approved under section 3 or revised under section 4.

(2) Before making any such addition. variation or revocation, the State Government shall publish, in the prescribed manner, a draft of such addition, variation or revocation together with a notice specifying a date on or after which such draft will be taken into consideration and shall consider such objecwhich such draft will be taken into considerate of such draft before the date so specified.

6. No park, playground or open space, specified in the list published under section 3 or section 4, as the case may be, shall except with the previous sanction of the prescribed authority, be used for any purpose other than the purpose for which it was used on the date immediately preceding the date of commencement of this Act.

The local authority shall maintain in a clean and proper condition all parks, playgrounds and open spaces belonging to or vested in it and included in the list published under section 3 or section 4.

8. No person shall, except with the previous sanction of the prescribed authority, construct any building or put up any structure likely to affect the utiof the park, playground or open space specified in the list published under

section 3 or section 4. (1) In the case of a park or playground not vested in a local authority, but included in the list published under section 3 or section 4, the prescribed authority may, by notice, require the owner or occupier of such park or playground-

(i) to maintain such park or playground in a clean and proper con-

(ii) to remove or alter any projection, encroachment or obstruction dition : or in or over any such park or playground or to make within a date specified in the notice such repairs to any building in such park or playground as the prescribed authority may consider necessary.

Preparation and submission 6 αſ lists of parks, playgrounds and open spaces.

> Revision of list by Government.

Variation or re vocation of list.

Prohibition of the use of parks, play and grounds spaces open in certain cases.

Maintenance of parks, play-grounds open spaces.

Prohibition of construction buildings, etc.

Obligation ' owner of parks playgrounds, etc.

11

ŁS

đ

- (2) If the owner or occupier fails to comply with the notice under subsection (1) the prescribed authority shall itself arrange, through such agency, as it thinks fit—
 - (i) to maintain such park or playground in a clean and proper condition; or
 - (ii) to remove or alter the projection, encroachment or obstruction;
- (iii) to make such repairs, as it may consider necessary, and the cost of such maintenance or removal, alteration or repairs shall be recoverable from such owner or occupier in such manner as may be prescribed.
- (3) Any dispute as to the amount of cost recoverable under sub-section (2), shall be decided by the State Government, whose decision shall be final.
- (4) The prescribed authority may, instead of or in addition to taking action, as indicated in sub-section (2) cause the land to be acquired under the Land Acquisition Act. 1894, for the purpose of effective management of the land as a park or playground.
- (5) Any owner or occupier of a playground desiring to convert a play-ground to any use other than as a playground may give notice to the State Government to purchase his rights, title and interest in the playground, and if the State Government does not signify its readiness and willingness within six months from the date of receipt of such notice to purchase such rights, title and interest, he may put such playground to such use as he desires.

Submission of annual returns.

- 10. (1) The prescribed authority shall submit to the State Government in such form and with such particulars, as may be prescribed, an annual return in respect of the parks, playgrounds and open spaces included in the list published under section 3 or section 4.
- (2) The return referred to in sub-section (1) shall also contain a list of the parks and playgrounds in respect of which action was taken under subsection (2) of section 9, together with particulars as regards the nature of the action taken in respect of them and the steps taken in regard to their proper maintenance.

Removal of unauthorised, persons,

space belonging to or vested in the State Government or a local authority, in contravention of any direction issued in that behalf by the State Government or, as the case may be, by such authority, he may without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, be removed from such park, playground or open space by any police officer or any other person acting on behalf of the State Government or such local authority, as the case may be, who may use such force for the purpose as may be necessary.

Penalties.

12. Whoever throws any rubbish into any park, playground or open space specified in the list published under section 4 or section 5 or gets over the railings or fence or steals or damages the fruits. flowers, plants, grass or any other thing whatsoever therein or commits any nuisance therein, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine or with both.

Interim preservation of parks etc.

13. Until the preparation and publication of a list of parks, playgrounds and open spaces under this Act, (which shall be completed within a period of two years from the commencement of this Act) no land which is an open space or is used as a park or playground immediately preceding the date of commencement of this Act shall be used or dealt with for any purpose except as such park or playground save with the prior permission in writing of the prescribed authority.

Power to make rules.

- 14. (1) The State Government may, by notification in the Gazette rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for—
 - (a) controlling or regulating the admission of persons to, and the conduct of persons in and in the vicinity of parks, playgrounds and open spaces.
 - (b) restricting or prohibiting the admission of animals or any class of animals to any park, playground or open space;

- (c) removing from any park, playground or open space any person who is therein in contravention of any order or direction of any authority issued under this Act;
- (d) the time within which the annual return under section 10 shall
- (e) the procedure to be followed under sub-section (2) of section 9;
- (f) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed.
- are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of not less than thirty days comprised in its one is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, ture may, during the said period, agree to make so, however, that any such thing previously done thereunder.

श्राका से, फेलाश नाथ गोयल, सचिव।